(वाद संख्या–4765/17)

11.11.2019

परिवादी, फुलौना तुरहा उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी द्वारा मौजा–बिलासपुर, खाता सं0–292, खेसरा सं0–936, रकबा–41डी0, जो उसके पिता को बंदोवस्त की गयी थी, को शंभू तुरहा द्वारा अतिक्रमित किये जाने तथा उसे अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु परिवाद दिया गया है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बगहा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रामनगर, बगहा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उपरोक्त कथित जमीन को लेकर उभय पक्ष के बीच विवाद है तथा दोनों पक्ष पर द0प्र0स0 की धारा 107 व 144 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है। द0प्र0स0 की धारा 144 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगहा द्वारा परिवादी को अपने जमीनी विवाद के निराकरण हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में अपना पक्ष रखने का सुझाव दिया गया।

परिवादी का कथन है कि उसके मामले का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रामनगर द्वारा सही रूप से जांच नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से विवादित जमीन के स्वामित्व का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी ओर से उपरोक्त विवादित जमीन के स्वामित्व का कोई प्रमाण आयोग के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से दाखिल भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगहा (पश्चिमी चम्पारण) द्वारा वरीय प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला जन–शिकायत कोषांग, पश्चिमी चम्पारण, बगहा को भेजे गये जांच–प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा विवादास्पद जमीन के स्वामित्व/बंदोवस्ती का कोई कागजात भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगहा के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां तक कि परिवादी के विपक्षी पक्ष द्वारा भी विवादास्पद जमीन के स्वामित्व का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बगहा द्वारा अंचलाधिकारी, रामनगर को यह निर्देश दिया गया है कि वह विवादास्पद जमीन की जांच कर लें तथा यह जमीन किसी को बंदोवस्त नहीं है और गैरमजरूआ जमीन है तथा अगर यह जमीन किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर विवादास्पद जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करायें।

प्रथम दृष्टया प्रस्तुत मामला एक स्वत्व विवाद प्रतीत होता है जिसके लिए परिवादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक